MISC. Case - 01/18
TR - 18/20

In the Court of
ADJ-X

Reena Kumari Sahela
VS
Tarun Kumar Sah

7223
D
02 Sheets

01.12.20

अभिलेख आज Virtual Court में प्रस्तुत किया गया। आवेदक व विपक्षी की ओर से कोई हाजिर नहीं।

वाद का पुकार किया गया। पुकार पर विपक्षी व आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित हुये विपक्षी को पुनः सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि यह विविध वाद विहित समय सीमा से एक वर्ष दो माह व 19 दिन बाद दाखिल किया गया है, जो काल-वर्जित (Time barred) है। आवेदक द्वारा delay को condone करने के लिए u/s 5 of the limitation Act का आवेदन शपथ-पत्र के साथ दिनांक 16.08.2018 को दाखिल किया गया था, किंतु ग्रहण के समय इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी, जैसा कि दिनांक 20.09.18 के आदेश पत्रक के अवलोकन से प्रतीत होता है। अतः उक्त आवेदन पर आवेदक को सुना। आवेदक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रोबेट केस की अपेक्षिका सरिता कुमारी सहेला की मृत्यु दिनांक 01.01.15 को हो गई थी, तथा इस विविध वाद की आवेदिका मीना कुमारी सहेला बेंगलोर में रहती है, जिसके कारण उन्हें प्रोबेट केस के लंबित होने की सूचना विलंब से मिली, तथा यह विविध वाद दाखिल करने में विलंब हुआ। अभिलेख पर सरिता कुमारी सहेला का मृत्यु प्रमाण-पत्र भी छाया-प्रति उपलब्ध है तथा u/s 5 of the Limitation Act का आवेदन शपथ-पत्र से समर्थित है। अतः

Misc-Case- 01/18

TR- 18/20

लगातार ---

01.12.20

आवेदक द्वारा दाखिल ~~आवेदन~~ u/s 5 of the Limitation Act के आवेदन व तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए, न्यायहित में delay को condone किया जाता है।

तत्पश्चात उभय पक्षों द्वारा निवेदन किया गया कि प्रस्तुत विविध वाद में सभी कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, अतः अंतिम आदेश पारित करने का अनुरोध करते हैं पुनः। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि यह विविध वाद प्रोबेट-23/11 को पुनर्जीवित करने के लिए दाखिल किया गया है। प्रोबेट-23/11 दिनांक 02.02.17 को Non-Prosecution की वजह से खारिज किया गया था। उभय पक्षों द्वारा इस विविध वाद में एक-2 गवाही भी कराई गई है। आवेदिका मीना कुमारी सहेला की गवाही दिनांक 02.08.17 को शपथ-पत्र पर ली गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रोबेट केस की आवेदिका सरिता सहेला उनकी जेठानी थी, तथा वही प्रोबेट केस में हाजरी-पैरवी करती थी, परंतु दिनांक 01.01.15 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण हाजरी-पैरवी छूट गई थी। वहीं विपक्षी तरुण कुमार सहेला की गवाही दिनांक 08.11.19 को दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोबेट केस की आवेदिका सरिता सहेला उनकी पत्नी थी, जिसकी मृत्यु दिनांक 01.01.15 को हो जाने के कारण प्रोबेट केस की हाजरी पैरवी छूट गई थी, जिसके कारण प्रोबेट केस खारिज हो गया। अभिलेख पर प्रोबेट केस की आवेदिका सरिता सहेला की मृत्यु प्रमाण-पत्र की

लगातार ---

MISC-01/18

TR-18/20

लगातार —

01.12.20

छायाप्रति उपलब्ध है।

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्याय-हित में प्रस्तुत विविध वाद स्वीकार की जाती है। तथा प्रोबेट-23/11 को पुनर्जीवित किया जाता है। तद्विषय प्रोबेट-23/11 को विचारण पंजी में दर्ज करें व दिनांक 10.12.20 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें। प्रस्तुत विविध वाद का निस्तारण किया जाता है। तद्विषय नियमानुसार अभिलेख जिला अभिलेखागार, मुख्यालय में जमा करें।

लेखापित

[illegible]